

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), गाजियाबाद ।

उपस्थित- राम किशोर पाण्डेय, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा

विविध वाद संख्या- 02/2015

श्रीमति फुलमिजरा

बनाम

वकील आदि

प्रार्थना पत्र 4 ग का निस्तारण

आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र 4 ग अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उमर मौहम्मद की मृत्यु दिनांक 28-10-2010 को हो गयी है । आवेदिका मृतक की विवाहिता पत्नी है तथा जायज कानूनी वारिस एवं उत्तराधिकारणी है विपक्षीगण मृतक के पुत्र व पुत्री है अन्य कोई वारिस मृतक का नहीं है । मृतक के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुरादनगर तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में बचत खाता संख्या 10674483145 में अंकन 3,69,671/- रुपये जमा चले आते हैं । मृतक द्वारा उक्त धनराशि की बाबत कोई वसीयत या अन्य प्रलेख आदि किसी के पक्ष में नहीं किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित धनराशि मय ब्याज की बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवेदिका के पक्ष में बनाये जाने की याचना की गयी है ।

आवेदिका की ओर से मृतक उमर मौहम्मद का मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्य प्रमाण पत्र, पास बुक, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र दाखिल किये गये हैं ।

न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से मुनादी व प्रकाशन कराया गया जिस पर विपक्षीगण उपस्थित आये अन्य कोई उपस्थित नहीं आया ।

विपक्षीगण की ओर से अनापत्ति मय शपथ पत्र दाखिल कर कथन किया गया है कि उनको आवेदक के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । चूंकि विपक्षीगण द्वारा अनापत्ति एवं शपथ पत्र से प्रार्थन पत्र में वर्णित कथनो का समर्थन किया गया है अतः आवेदिका का प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

आवेदिका का प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किया जाता है । आवेदिका के पक्ष में प्रार्थना पत्र में वर्णित धनराशि अंकन 3,69,671/- रुपये मय बयाज की बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक न्यायशुल्क अदा किये जाने के उपरान्त जारी किया जाता है ।

आवेदिका को आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय के समक्ष इस आशय की अन्डरटेकिंग दाखिल करे कि इस उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र में उसके व विपक्षीगण के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं है तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से प्राप्त धनराशि पर भविष्य में कोई आपत्ति होती है तो उक्त सम्पत्ति उसके अधीन होगी ।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम धारा 383 के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है ।

दिनांक: 22-02-2015

सिविल जज, (सी०डि०)

गाजियाबाद ।